(56)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 311722 पटना, दिनांक 26/05/17

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(न्याय0)-107-04/2017

प्रेषक,

सी0 पी0 खण्डूजा,
निदेशक (सा0 वा0) ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा नियोजित कर्मियों को दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आर्थिक लाभ देने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजना (सम्प्रति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अनुबंध के आधार पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) का नियोजन किया गया है । इन कर्मियों को दुर्घटना के क्रम में मृत्यु की स्थिति में अनुबंध कर्मी/उनके आश्रित की स्थिति असहाय हो जाती है । इसे देखते हुए विभागीय पत्रांक-145840 दिनांक-16.04.13 जो मनरेगा कर्मियों से संबंधित है, में निहित प्रावधान के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में मनरेगा कर्मियों के निकट आश्रितों को मूल मानदेय की राशि का 60 गुणा आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है । बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी, पटना की बैठक दिनांक 30.03.17 में निर्णय लिया गया कि मनरेगा कर्मियों की भांति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा नियोजित कर्मियों यथा- ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में उनके निकट आश्रितों को मूल मानदेय का 60 गुणा आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । इस राशि का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी (BRDS) में विभागीय मुख्यालय स्तर पर संधारित प्रशासनिक व्यय मद की राशि से किया जायेगा ।

संबंधित कर्मियों के दावे के निबटारे हेतु घटना घटित होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के अनुशंसा के साथ निम्न दस्तावेज विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा :-

(i) प्रभावित कर्मी के चिन्हित परिजन के हस्ताक्षर/अँगूठा के निशान के साथ दावा आवेदन पत्र ।
(ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र ।
(iii) संबंधित पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति ।
(iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Post Mortem Report अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पंचनामा ।
(v) उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन ।
(vi) चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) ।

अनुरोध है कि इस दिशा में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करते हुए वांछित दस्तावेज विभाग को निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि प्रभावित कर्मी/प्रभावित कर्मी के आश्रितों को लाभान्वित कराया जा सके ।

यह निर्णय इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन
23.05
(सी0 पी0 खण्डूजा)
निदेशक (सा0 वा0)

D:\D Drive\Mukesh\IAY 1790a.doc